Section 23 : General power to make regulations

The Board may, by notification, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the purposes of this Act.

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 23 : विनियम बनाने की साधारण शक्ति

बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

www.cggst.com